तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
15/11/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गयी। वावजूद आवाजें दिलाने के विपक्षीगण के अनुपस्थित रहने के विपक्षीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण से बहस सुनी गयी। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नियम मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.28 17:05:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

संख्या : 165 / 2022 (GCMS No. 2022/288)

[illegible]ण :–
1. भारूराम पुत्र भींयाराम
2. धीमाराम पुत्र भींयाराम
3. भागीरथराम पुत्र भींयाराम
4. स्वरूप पुत्र भींयाराम
कौम विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–
1. हरूराम पुत्र विरधाराम
2. मालाराम पुत्र भारूराम
3. जैकनराम पुत्र भारूराम
4. बाबूराम पुत्र भारूराम
5. रूपाराम पुत्र गुलाबाराम
6. जगमालराम पुत्र गुलाबाराम
7. सदराम पुत्र गुलाबाराम
8. आसूराम पुत्र गुलाबाराम
9. भारताराम पुत्र रिडमलराम
10. नारणाराम वल्द रिडमलराम
11. विरधाराम पुत्र उदाराम
12. पूनमाराम पुत्र भैराराम
13. रूघनाथराम पुत्र भैराराम
कौम विश्नोई साकिन मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
14. हकुराम पुत्र चिमनाराम
15. रामाराम पुत्र चिमनाराम
16. पांचुदेवी पत्नी चिमनाराम
कौम रबारी साकिन मौखावा तहसील गुड़ामालानी
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–
1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. एकतरफा – विप्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 15.11.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के खिलाफ बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन अध्ययन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत :– 2075–2078 – जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा [illegible] के खेत खसरा नम्बर 1029, 1029/2 रकबा [illegible] 8.2900, 5.48[illegible] हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की मार्के नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.28 17:05:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है **दौनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में** सरहद मौजा मौखावा के खेत खसरा नम्बर 1029, 1029/2 रकबा क्रमशः 8.2960, 5.4875 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15/11/22 को मजमेआम खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.28 17:05:55 IST
Reason: SelfAttested